



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 नवम्बर, 2021
 अग्रहायण 4, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
 न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 43/2021/612/सात-न्याय-2-2021-728-86
 लखनऊ, 25 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-404

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (1) और उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित जिलों में स्थित कुटुम्ब न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये परामर्शदाता के रूप में आबद्ध करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला का नाम	नाम और पता	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	जौनपुर	1-देवेन्द्र कुमार यादव, निवासी ग्राम पोखरिया, पोस्ट मसीदा, थाना सिकरारा, तहसील व सदर जौनपुर	10 सितम्बर, 1978
2	जौनपुर	2-शिल्पी जायसवाल, निवासी मोहल्ला रसूलाबार, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर	24 जून, 1985

2—उक्त व्यक्तियों की परमर्शदाता के पद के लिये आबद्धता, सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं है और वे सम्बन्धित न्यायालयों में संविदा के आधार पर सम्बद्ध होंगे।

3—तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की संस्तुति पर उक्त अभ्यर्थियों के अगले कार्यकाल के लिए विचार किया जा सकता है।

4—आबद्ध व्यक्ति, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव—II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 43/2021/612/VII- Nyay-2-2021-728-86, dated November 25, 2021 :

No. 43/2021/612/VII- Nyay-2-2021-728-86

Dated Lucknow, November 25, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) and sub-rule (1) of rule 26, the Uttar Pradesh Family Court Rules, 1995, the Governor, with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to engage the following persons as Councillor in the Family Courts in districts mentioned against each in Column-2 of the Schedule below for three years with effect from the date of their taking over charge.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of district	Name and address	Date of birth
1	2	3	4
1	Jaunpur	1. Devendra Kumar Yadav, R/o Village Pokhriya, Post Masida, P.S. Sikrara, Tehsil and Sadar Jaunpur	September 10, 1978
2	Jaunpur	2. Shilpi Jaiswal, R/o Moh. Rasulabad, Post Sadar, district Jaunpur	June 24, 1985

2. The engagement of the persons for the post of Councillor is not an appointment in Government Service and they will be attached to the respective Courts on contract basis.

3. After completion of tenure of three years, the candidates may be considered for next tenure on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad.

4. The engaged persons will receive such remuneration as may be determined by the State Government from time to time.

By order,
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.